<u>न्यायालयः—व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—2 बैहर के अतिरिक्त व्यवहार</u> <u>न्यायाधीश वर्ग—2, बैहर, जिला बालाघाट (म.प्र.)</u> (पीठासीन अधिकारीः—सिराज अली)

<u>व्य.वाद कं.-73 ए/2014</u> <u>प्रस्तुति दिनांक-17.07.2014</u>

शांतिबाई पिता मूलचंद सोनी, आयु 55 वर्ष, जाति सुनार, निवासी–गढ़ी, तहसील बैहर, जिला बालाघाट म.प्र.

----<u>वादी</u>

बनाम

- 1—मूलचंद सोनी पिता मोतीलाल सोनी, उम्र 60 वर्ष, जाति सुनार निवासी—गढ़ी, तहसील बैहर, जिला बालाघाट म.प्र.
- 2—श्रीमान तहसीलदार तहसील बैहर, जिला बालाघाट म.प्र.
- 3-म.प्र. शासन द्वारा कलेक्टर बालाघाट

- - - - - - - प्रतिवादीगण

आदेश

दिनांक-18/02/2015 को पारित

- 1— इस आदेश के द्वारा वादी की ओर से प्रस्तुत आवेदनपत्र अंतर्गत आदेश 39 नियम 1, 2 व्यवहार प्रक्रिया संहिता (आई.ए.नंबर 1) का साथ निराकरण किया जा रहा है।
- 2— प्रकरण में महत्वपूर्ण स्वीकृत तथ्य कुछ नहीं।
- 3— वादी का आवेदन पत्र संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी के स्वत्व व आधिपत्य की मौजा गढ़ी प.ह.नं. 15/53, रा.नि.मं. बैहर में स्थित खसरा नंबर 87/2, 114/2, 114/3, 114/4, 114/5, 114/6, 114/7, 114/8, 114/9, 114/10, 115/3, 115/5, 115/6, 193, 198/5, 198/8, 246/2 कुल रकबा 5.633 हेक्टेअर भूमि है। उक्त विवादित भूमि वादी के पिता से प्राप्त हुई है। वादी के पिता ने प्रतिवादी कमांक 1 से वादी का विवाह होने के पश्चात् वादी के साथ प्रतिवादी कमांक 1 को घर जमाई अपने यहां रखकर पालन पोषण किया है तथा वादी के पिता के घर ही उनकी संताने उत्पन्न हुई है। वादी के पिता की दिनांक 11.11.90 को फौत होने के उपरान्त फौती दाखिला में वादी का नाम विवादित भूमि के राजस्व अभिलेख में दर्ज हुआ। प्रतिवादी कमांक 1 ने कुछ दिनों बाद वादी से विवाद कर अलग निवास करने लगा

और वादी के पिता से प्राप्त वादी की भूमि पर दखल देने का प्रयास कर रहा है। प्रतिवादी क्रमांक 1 के द्वारा विवादित भूमि का बंटवारा किये जाने हेतु तहसीलदार बैहर के समक्ष प्रकरण दायर किया गया है, तब वादी को ज्ञान हुआ कि प्रतिवादी क्रमांक 1 ने वादी के पिता के नाम से फर्जी रूप से वसीयतनामा तैयार कर विवादित भूमि पर अपना नाम दर्ज करा लिया है। वादी के पिता ने प्रतिवादी क्रमांक 1 के पक्ष में कोई वसीयत नहीं की है। वादी फर्जी वसीयतनामा के आधार पर विवादित भूमि पर अपना नाम दर्ज कराकर तथा बंटवारा कराकर भूमि का विक्रय कर सकता है। अतएव विवादित भूमि के संबंध में राजस्व न्यायालय के बंटवारा प्रकरण क्रमांक 103/27 वर्ष 2012—13 की कार्यवाही को वाद के निराकरण तक अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर रोका जावे।

- 4— प्रतिवादी कमांक 1 ने उक्त आवेदन पत्र के अभिवचन से इंकार करते हुए जवाब में व्यक्त किया है कि वादी के पिता तिलकधारी की प्रतिवादी कमांक 1 ने 30 वर्ष तक घर दामाद के रूप में सेवा जाफ्ता की है, जिससे खुश होकर तिलकधारी ने प्रतिवादी कमांक 1 के पक्ष में वसीयतनामा दिनांक 09.08.90 विधिवत् रूप से निष्पादित किया है। जिसके अनुसार वसीयतशुदा संपत्ति को वसीयतकर्ता के फौत उपरान्त प्रतिवादी कमांक 1 के नाम पर राजस्व अभिलेख में दर्ज किया गया है। स्व. तिलकधारी की मृत्यु उपरान्त वादी ने प्रतिवादी कमांक 1 को घर से निकाल दिया। वादी को उक्त वसीयत की जानकारी होने के बाद भी उसने वसीयत को प्रभावशन्य करने हेतु कोई वाद प्रस्तुत नहीं किया है और प्रतिवादी ने वसीयत के अनुसार विवादित भूमि पर वादी के साथ उसका संयुक्त रूप से नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज करा लिया है। प्रतिवादी वसीयत के अनुसार अपना विवादित भूमि पर बंटवारा कराकर हक प्राप्त करने का अधिकारी है। अतएव वादी का आवेदन पत्र सव्यय निरस्त किया जावे।
- 5— प्रतिवादी क्रमांक 2 की ओर से आवेदन का जवाब पेश नहीं किया गया है तथा प्रतिवादी क्रमांक 3 प्रकरण में एकपक्षीय है।

6- <u>आवेदन के निराकरण हेतु निम्न विचारणीय बिन्दु है</u>:-

- 1- क्या प्रथम दृष्टया मामला वादी के पक्ष में है?
- 2- क्या सुविधा का संतुलन वादी के पक्ष में है?
- 3— क्या वादी के पक्ष में अस्थायी निषेधाज्ञा जारी न किये जाने से उसे अपूर्णीय क्षति होना संभावित है।

ः : विचारणीय बिन्दुओं का निराकरण : :

- 7— वादी ने अपने पक्ष समर्थन में विवादित भूमि के राजस्व नक्शा, खसरा फार्म की प्रमाणित प्रतिलिपि एवं संशोधन पंजी की प्रमाणित प्रतिलिपि पेश की है। उक्त दस्तावेज से विवादित भूमि पर बादी एवं प्रतिवादी कमांक 1 का नाम संयुक्त भूमि स्वामी के रूप में दर्ज होना प्रकट होता है। संशोधन पंजी के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि प्रतिवादी कमांक 1 के पक्ष में कथित वसीयतनामा के आधार पर वादी के साथ प्रतिवादी कमांक 1 का नाम विवादित भूमि पर दर्ज हुआ है। वादी ने कथित पंजीयत वसीयतनामा की सत्यप्रतिलिपि पेश की है, जिसे प्रभावशून्य घोषित कराने का अनुतोष चाहा है। इसके अलावा विवादित भूमि का बंटवारा प्रकरण राजस्व न्यायालय में लंबित होने के संबंध में तहसीलदार बैहर न्यायालय की आदेशपत्रिका प्रमाणित प्रतिलिपि पेश है, जिससे यह परिलक्षित होता है कि उभयपक्ष के मध्य विवादित भूमि का बंटवारा संबंधी कार्यवाही लंबित है।
- 8— विवादित भूमि पर प्रतिवादी कमांक 1 का कथित वसीयत के आधार पर वादी के साथ संयुक्त स्वामी के रूप मे नाम दर्ज हुआ है, जिसे वादी ने इस न्यायालय के समक्ष चुनौती दी है। उभयपक्ष के मध्य विवादित भूमि पर स्वत्व का विवाद है, जिसका निराकरण करने हेतु सिविल न्यायालय को ही अनन्य क्षेत्राधिकारिता प्राप्त है। राजस्व न्यायालय को मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता की धारा 178 के अंतर्गत कृषि भूमि का बंटवारा किये जाने की अनन्य क्षेत्राधिकारिता है, किन्तु जहां स्वत्व का विवाद हो तो उक्त प्रावधान के अंतर्गत ही ऐसी कार्यवाही सिविल न्यायालय के समक्ष स्वत्व का विवाद के निराकरण हेतु राजस्व न्यायालय द्वारा स्थिगत की जाती है। ऐसी दशा में वसीयत आधारित स्वत्व के बिन्दू का निराकरण के पूर्व की बंटवारा की कार्यवाही पूर्ण हो जाती है, तो उभयपक्ष के मध्य वाद बाहुल्यता उत्पन्न होने की संभावना है। इस प्रकार वादी का मामला प्रथमदृष्टया उसके पक्ष में बनता है।
- 9— विवादित भूमि के बंटवारा की कार्यवाही रोके जाने से वाद बाहुल्यता को रोका जा सकता है। बंटवारा कार्यवाही पूर्ण होने पर इस वाद में अनावश्यक विवाद उत्पन्न होने तथा वादी को तुलनात्मक रूप से असुविधा होने की संभावना है। विवादित भूमि पर स्वत्व का निराकरण कराए बगैर मौके पर बंटवारा होने पर वादी को

अपूर्णीय क्षति होना भी संभावित है। अतएव विचारणीय बिन्दू क्रमांक 1 से 3 वादी के पक्ष में पाए जाते हैं।

उपरोक्त सभी कारणों से वादी का आवेदनपत्र अंतर्गत आदेश 39 नियम 10-1, 2 व्यवहार प्रकिया संहिता (आई.ए.नंबर 1) स्वीकार किया जाकर राजस्व न्यायालय तहसीलदार बैहर के समक्ष लंबित बंटवारा प्रकरण क्रमांक 10अ / 27 वर्ष 2012-13 की कार्यवाही को वाद के निराकरण तक अस्थाई निषेधाज्ञा के माध्यम से रोका जाता है।

इस आदेश का वाद के गुणदोषों पर निराकरण में कोई प्रभाव नहीं 11-रहेगा।

आदेश खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर पारित किया गया।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(सिराज अली) व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, बैहर के अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, बैहर

(सिराज अली) वर्ग-न्यायार्धः बैहर स्तितियो स्वितियो स्वितिय स्वतिय स्वतिय स्वितिय स्वितिय स्वितिय स्वितिय स्वतिय स्वतिय स्वितिय स्वितिय स्वितिय स्वितिय स्वितिय स्वतिय स्वतिय स्वतिय स्वितिय स्वितिय स्वितिय स्वतिय स्वतिय स्वतिय स्वितिय स्वितिय स्वतिय स्वतिय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, बैहर के अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2,